भारतीय अर्थव्यवस्था में कर संरचना का महत्व एवं उसका बोझ

Rahul Deepak Minz
Assistant Professor (Guest Faculty), B.S. College, Lohardaga, Ranchi University.

Received: May 24, 2018 Accepted: July 17, 2018

भारतीय अर्थव्यवस्था में लोक वित्त बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है । सरकार द्वारा जो भी लने देन या आर्थिक क्रियाऐ होती है उसे हम अध्ययन के लिए लोक वित्त के अर्न्तगत रखते है । लोक वित्त में सरकार द्वारा बजट बनाया जाता है । बजट जो कि सरकार द्वारा बनाया जाता है वह बजट हमारे द्वारा व्यवहार में बनाये जाने वाले बजट से बिल्कुल भिन्न होता है । आम जीवन में अगर आम जन अपना बजट बनायेगी तो उसके बजट का आधार उसकी आय होगी । अथार्त उसे क्या क्रय या खर्च करना है उसका निर्धारण उसके आय पर निर्भर करेगा । लेकिन सरकार द्वारा बनाये जाने वाला बजट ठीक इसके विपरीत बनता है । सरकार अपने बजट निर्माण के समय पहले अपने द्वारा किये जाने वाले खर्च की सूचि बनाती है उसके बाद उन्हें पूरा करने के लिए आय के स्रोंतों को ढूढती है । आय के स्रोतों में ऋण लेना तथा कर लेना मुख्य होता है । इन दोनों में मुख्य रूप से 'कर' पर फोकस किया जाता है क्योंकि कर लेने के बाद उसे प्रत्यक्ष रूप से वापस नहीं किया जाता है । सरकार द्वारा योजनागत एवं गैर–योजनागत व्यय द्वारा कर को अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को वापस किया जाता है । भारत में कर संरचना प्रगतिशील प्रकृति की है अर्थात भारत में जो व्यक्ति जितना अधिक आय प्राप्त करेगा । उसे उतना ही अधिक कर देना होगा । यह प्रगतिशील प्रकति की होती है किन्तु एक सीमा के बाद स्थिर दर से बढती है । हम कह सकते हैं कि भारत में कर संरचना प्रगतिशील और आनुपातिक प्रकृति का मिश्रित रूप है । भारत की कर संरचना काफी न्यायपूर्ण लगती है क्योंकि जब सरकार द्वारा कर लिया जाता है तो उस आय का व्यय निम्न आय वर्ग को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है क्योंकि सरकार द्वारा किया जाने वाला कर का व्यय अधिकतर कल्याणकारी योजना में खर्च किये जाते हैं ।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक उन्नत समाज के लिए अच्छी कर प्रणाली न्यायसंगत होनी चाहिए अर्थात सरकार को कर सक्षम लोग जो दे सकते हैं उनसे हो कर लेने चाहिए । इस प्रकार कर देने में अक्षम लोगों से कर न लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहिए । इसी तरह एक अच्छी कर प्रणाली दक्षतापूर्ण होनी चाहिए जैसे कर उन वस्तुओं पर अधिक से अधिक लगाई जानी चाहिए जो समाज के लिए बुराई के रूप में मौजूद है । अर्थात शराब,सिगरेट जैसे नशीले वस्तुओं पर । इससे इन वस्तुओं के मांग में कमी होने के साथ साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी । इस प्रकार कर लगाने से दोहरा लाभ प्राप्त होगा । इसी तरह एक अच्छी कर प्रणाली में प्रशासनिक सरलता, लचीलापन और पारदर्शिता मौजूद होनी चाहिए । प्रशासनिक सरलता होने से अधिक से अधिक लोगों एवं क्षेत्रों को कर के दायरे में लाया जा सकता है । लचीलापन होने के वजह से समय समय पर जरुरत के अनुसार कर के नियमों में बदलाव कर सरल बनाया जा सकता है । इसी प्रकार पारदर्शिता होने से लोगों को जानकारी रहती ह कि उनके द्वारा दिया गया कर राशि कितनी है एवं सरकार के पास सुरक्षित है, इससे लोगों में कर देने की ईच्छा भी बढती है ।

सरकार द्वारा दो प्रकार से कर लिया जाता है । प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर । प्रत्यक्ष कर में करापात एवं कराघात एक ही बिंदु पर पड़ता है अर्थात कर जिस पर लगाया जाता है उसे ही कर का भुगतान करना पड़ता है । इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत करापात एवं कराघात अलग अलग होता है । अर्थात (विवर्तन के माध्यम) सरकार द्वारा किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तब उस कर की मात्रा जो हम दुकानदार को देते है जो कि बाद में सेल्स टैक्स क द्वारा दुकानदार से सरकार वसूल करती है ।

हाल के समय में भारत में अप्रत्यक्ष करों की चोरी में काफी वृद्धि हुई है इस समस्या से बचने के लिए सरकार ने अप्रत्यक्ष कर संरचना में कुछ बदलाव किये है । यह कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं बल्कि कर प्राप्ति को सरलीकरण किया गया है । इसे VAT (Value Added Tax) के नाम से जाना जाता है VAT में उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर वसूला जाता है जिससे कर का बोझ हर चरण पर पड़ता है और यह बोझ कम होने के कारण कर की चोरी भी नहीं हो पाती है । हाल के समय में GST को भी सरकार द्वारा लगाया गया है GST (Goods And Service Tax) के अंतर्गत सभी प्रकार के करों में एकरूपता लाई गई तथा बहुत सारे कर के बदले एक ही प्रकार का कर लिया जाने का प्रावधान बनाया गया । ळैज सभी वस्तुओं पर लगाई गई है । कुछ वस्तुओं को छोड़ कर जैसे– पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा अल्कोहल इत्यादि । ळैज लगने से पुरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में एकरूपता आई है ळैज के अंतर्गत जो कर लिया जा रहा है वह दर 20 % है जिसमे 12 % केंद्र का हिस्सा और 8 % हिस्सा राज्य को प्राप्त होगा । केंद्र द्वारा प्राप्त हिस्सा बाद में राज्यों को उनकी जरुरत के अनुसार बाँटा जाता है ।

भारत एक विकासशील देश है आजादी के बाद से ही भारत अपने विकासात्मक कार्यों को करते आ रहा है । इन कार्यों को पूरा करने के लिए धन राशि की जरुरत पूरा करने के लिए कर किया जाता है । वैसे कर की अवधारणा पुरानी है । प्राचीन काल से ही कर लिया जा रहा है । प्रशासनिक, राजकीय, विकासात्मक, गैर योजनागत कार्य सरकार को करनी पड़ती है जिसका बड़ा हिस्सा कर से पूरा होता है । देश के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को कर की सहायता दी जाए ताकि सरकार अपन कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। भारतीय संविधान, भारत में संघीय व्यवस्था करता है जिस कारण कर का बड़ा हिस्सा केंद्र को मिलाता है । तथा केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिस पर राज्यों को उनके जरुरत के अनुसार हिस्सा देता है । राज्यों द्वारा जो कर प्राप्त किया जाता है वह सिर्फ विधि व्यवस्था एवं राज्य के सामान्य कार्य के लिए होता है ।

एक अच्छी सरकार सदैव यही प्रयास करती है जनता अधिक से अधिक कर की प्राप्ति करे तथा सरकार उतनी ही अधिक मात्रा में जनता को उत्पादक एवं अनउत्पादक कार्यों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुचाये और समाज में आर्थिक असमानता के दुरी को कम से कम कर सके । इसे हम विकास की एक अच्छी अवस्था मान सकेंगे ।

संदर्भ सूचि :–

1. Economic Survey 2014-15
2. 14th Finance Commission Report
3. Public Finance by M.L. Jingan
4. Economic Survey 2011-12
5. Public Finance by J.C. Panth